अनुलग्नक I

पोतनिर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण दर्शानेवाले रक्षा अधिप्राप्ति कार्यविधि 2005 से उद्धृत अंश

कार्यक्षेत्र

4. यह कार्यविधि रक्षा लोक क्षेत्र के पोतप्रांगणों से स्वदेशी डिज़ाइन और निर्माण के द्वारा युद्धपोतों के अधिग्रहण के लिए लागू होगी।

आवश्यकता की स्वीकृति

5. पोत के डिज़ाइन और निर्माण हेतु प्रस्ताव को, अकेले या एक पोतनिर्माण प्रोजेक्ट योजना के रूप में,रक्षा अधिग्रहण परिषद के विचार एवं अनुमोदन के लिए सेवाओं के पूंजीगत अधिग्रहण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए मामले का विवरण रक्षा अधिप्राप्ति कार्यविधि-2005 के पैरा 15 में दिए गए विवरण के अनुरूप तैयार और संसाधित किया जाना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टाफ आवश्यकताओं की रूपरेखा, पोत पर फिट किए जाने वाले शस्त्र और सेंसरों की विस्तृत श्रेणी उनके स्वदेशी विकास की स्थिति सहित, संक्रियात्मक आवश्यकताएं बजट संबंधी प्रावधानों की सन्निकट लागत आदि समाविष्ट हैं।

प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताएं

6. नौसेना मुख्यालय को प्रांरभिक स्टाफ आवश्यकताएं (पी एस आर) एककालिक रूप में तैयार करनी है। प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताओं में पोत की भूमिका, उसके आयाम, पोतखोल के विनिर्देश, यंत्रावली, शस्त्र सेंसर, आवासस्थान और जनशक्ति, सहनशीलता और ईंधन क्षमता आदि सम्मिलित होने चाहिए।

7. प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताएं वह आधार तैयार करेंगी, जिसके अनुसार पोत का प्रारंभिक डिज़ाइन, विशिष्ट शस्त्र, सेंसर, यंत्रावली और उपस्कर के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं/विक्रेताओं का अभिनिर्धारण किया जाना है।

पोतप्रांगण का नामांकन

8. रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात, नौसेना मुख्यालय रक्षा उत्पादन निदेशालय के साथ परामर्श करके क्षमता का निर्धारण करेगा तथा प्रोजेक्ट के लिए पोतप्रांगण के नामांकन के संबंध में अपनी संस्तुतियां रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित करेगा। रक्षा मंत्री के अनुमोदनार्थ फाइल पर इसका संसाधन किया जाएगा।

निर्माण विनिर्देश

9.1 प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताओं के आधार पर, नौसेना मुख्यालय द्वारा पोत के निर्माण विनिर्देश तैयार किए जाने हैं तथा पोतप्रांगण को उसका अग्रेषण किया जाना है।

9.2 ऐसे मामलों में, जहाँ डिज़ाइन नौसेना मुख्यालय के माध्यम से नहीं भेजा जाता है, नामित पोतप्रांगण प्रारंभिक स्टाफ आवश्यकताओं के आधार पर निर्माण विनिर्देश तैयार करेगा।

निर्माण योजना

10. नामित पोतप्रांगण को पोत के विनिर्देश, प्रांगण की अवसंरचना और संसाधनों के आधार पर निर्माण योजना का प्रस्ताव करना है। इसमें शस्त्र और सेंसरों सहित प्रमुख लंबी लीड मदों के लिए निर्माण अनुसूची तथा अधिप्राप्ति अनुसूची का मसौदा शामिल हैं।

बजट संबधी लागत

11.1 पोतप्रांगण को निर्माण योजना के आधार पर पोत का निर्माण करने हेतु बजट संबंधी मूल्य दर का अग्रेषण करना है। फोलो ऑन प्रोजेक्टों के पोतों के मामले में, पोतप्रांगण को निर्माण हेतु एक सुनिश्चित लागत का अग्रेषण करना है। निधियों की वार्षिक आवश्यकता सूचित करने हेतु बजट संबंधी लागत को विभक्त किया जाना चाहिए, जिसे बाद में सुरक्षा की मंत्रीमंडल समिति के अनुमोदन हेतु ले लिया जाएगा।

11.2 नामित पोतप्रांगण द्वारा बनाए गए बजट संबंधी मूल्य के आधार पर अनुमानित लागत को ध्यानपूर्वक सविस्तार प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसमें श्रम दिनों की संख्या सूचित करते हुए श्रम लागत, उपरिव्यय, प्रत्यक्ष व्यय, पोतप्रांगण को देय लाभ, विशेष संविदागत कार्य, कच्चेमाल की लगभग लागत, सभी प्रमुख उपस्कर, शस्त्र, सेंसर और चुनिंदा नोदन यंत्रावली आदि जैसे सभी नियत एवं परिवर्ती लागत तत्व सम्मिलित होने चाहिए। अनुमानित लागत में अधिप्राप्ति के अनुसूचित समय के अनुसार विभिन्न उपस्कर और यंत्रावली की लागत में साधारण वृद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि एक अनुमानित समापन लागत तक पहुँचा जा सके। ऐसे लागत तत्वों, जिनका इस समय पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और उनकी संभावित लागत, का विवरण भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

11.3 प्रोजेक्ट अध्ययन, नौसेना के डिज़ाइन निदेशालय में डिज़ाइन सुविधाओं एवं अवसंरचना का संवर्धन और पोतप्रांगण में अवसंरचना के सृजन की लागतें भी प्रोजेक्ट में अलग मदों के रूप में प्रतिफलित होनी चाहिए।

सुरक्षा की मंत्रीमंडल समिति का अनुमोदन

12.1 पोत का डिज़ाइन एवं निर्माण हेतु प्रस्ताव को तत्पश्चात् सुरक्षा की मंत्रीमंडल समिति के अनुमोदनार्थ लिया जाना चाहिए।

12.2 सुरक्षा की मंत्रीमंडल समिति की टिप्पणी में प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत, समापन की समयसूची, व्यय की व्याप्ति, निधियों की उपलब्धता, पोत पर फिट किए जाने वाले प्रमुख शस्त्र, सेंसर, नोदन यंत्रावली तथा अन्य प्रमुख उपस्करों की सूचना निर्दिष्ट होनी चाहिए।